

प्रेस नोट जनपद बागपत थाना बडौत

दिनाँक-04.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 780/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 814/24 धारा 331(4)/305ए बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर चोरों घायलावस्था (50 हजार रूपये के ईनामिया 01 अभियुक्त) सिहत 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप जिसमें चोरी किये हुए 02 पशु, 04 ट्रक के टायर, 01 टायर खोलने की मशीन, 01 जैक तथा घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।

संक्षिप्त विवरण-

- 1-दिनांक 15.11.24 को थाना बड़ौत पर वादी विनय पुत्र ओमसिंह निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा ग्राम जोनमाना थाना बडौत से वादी की गाडी नं0 UP-14-CT-1726 के पिछले दोनों टायर रिम सहित चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 780/24 303(2) धारा बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।
- 2- दिनांक 02.12.24 को थाना बड़ौत वादी सावेज पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात अभियुक्त





द्वारा वादी के घर से एक भैंस व एक भैंस का बच्चा चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 814/24 धारा 305(A) बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 03-12-2024 की रात्रि में समय करीब 23:25 बजे संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चौकी बिनौली रोड पर चैकिंग की जा रही थी। 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें पशु भरे हुए थे। जिसे चैकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों द्वारा गाड़ी नहीं रोकी तथा बैरियर तोडते हुए गाड़ी आगे की ओर भगा दी। जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया गया। थाना बड़ौत पुलिस द्वारा बिजरौल-लौहड्डा मार्ग पर घेराबंदी की गयी तो गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। थाना बडौत पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर चोरों घायलावस्था (50 हजार रुपये का इनामिया 01 अभियुक्त) सहित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप जिसमें चोरी की हुए 02 पशु, 04 ट्रक के टायर, 01 टायर खोलने की मशीन, 01 जैक तथा घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा मय 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियुक्त जाबिर पुत्र खालिद उर्फ सोल्हू निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह हाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा दिनांक 05.09.2024 को 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था तथा अभियुक्त जाबिर के विरुद्ध 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड से तथा जनपद सीतापुर, सहारनपुर से विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जाबिर पुत्र खालिद उर्फ सोल्हू निवासी ग्राम बेगीनाजर थाना गंगोह हाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।(घायल)
- 2-इन्तजार पुत्र असगर निवासी नगला राई थाना कैराना जनपद शामली हाल निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।(घायल)

3-गुलजार पुत्र असगर निवासी ग्राम नगला राई थाना कैराना जनपद शामली। बरामदगी का विवरण-

- 01 गाडी महिन्द्रा पिकअप नं0 UP-17AT-4927
- चोरी किये हुए 02 पशु।
- चोरी किये हुए 04 ट्रक के टायर
- चोरी घटना में प्रयुक्त टायर खोलने की मशीन व जैक।
- घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे .315 बोर व 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त जाबिर का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 203/19 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
- 2.मु0अ0सं0 111/19 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
- 3.मु0अ0सं0 633/23 धारा 395/412/34 भादवि थाना थाना ऊदम सिंह नगर काशीपुर उत्तराखण्ड।
- 4.मु0अ0सं0312/24 धारा 305 बीएएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5.मु0अ0सं0 196/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 6.मु0अ0सं0 780/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 7.मु0अ0सं0 814/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 8.मु0अ0सं0 324/20 धारा 147/148/149/307/420/467/468/471 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 9.म्0अ0सं0 530/20 धारा 2/3 गैगरुटर एक्ट थाना सदर बजार जनपद सहारनपुर।
- 10.मु0अ0सं0 128/20 धारा 216/380/427/457/511 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 11.मु0अ0सं0 191/20 धारा 216/380/427/457/511 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
- 12.मु0अ0सं0 300/24 धारा 457/380/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना लहरपुर जनपद सीतापुर
- 13.मु0अ0सं0 334/24 धारा 379/411 भादवि थाना रेउसा जनपद सीतापुर।
- 14.मु0अ0सं0 178/24 धारा 379/511/411/427 भादवि सदरपुर जनपद सीतापुर।
- 15.मु0अ0सं0 324/24 धारा 147/148/149/420/467/468/471/307 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 16.मु0अ0सं0 629/23 धारा 380/427/465/468/471/411/34 भादवि थाना ऊधम सिंह नगर काशीपुर उत्तराखण्ड।

17.मु0अ0सं0 817/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इन्तजार का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 53/19 धारा 307/427 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2. मु0अ0सं0 111/19 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
- 3.मु0अ0सं0 201/17 धारा 307/398/411 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।
- 4.मु0अ0सं0 203/17 धारा 4/25 ए एक्ट थाना ननौत जनपद सहारनपुर।
- 5.मु0अ0सं0 183/19 धारा 395/412/506 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर ।
- 6.मु0अ0सं0 203/19 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
- 7.मु0अ0सं0 204/19 धारा 25 ए एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
- 8.मु0अ0सं0 184/19 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
- 9.मु0अ0सं0 312/24 धारा 305 बीएएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 10.मु0अ0सं0 196/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 11.मु0अ0सं0 780/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 12.मु0अ0सं0 814/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 13.मु0अ0सं0 817/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलजार का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 312/24 धारा 305 बीएएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0सं0 196/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0सं0 780/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4.मु0अ0सं0 814/24 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5. मु0अ0सं0 817/24 धारा 109/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री आसिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 6- उ0नि0 श्री अनूप सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

7- उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत जनपद बागपत।
8-उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
9- है०का० 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
10- है०का० 306 राजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
11- है०का० 351 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
12- है०का० 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
13 है०का० 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
14-है०का० 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
15- का० 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
16- का० 194 तरुण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।






प्रेस नोट जनपद बागपत थाना खेकड़ा

दिनाँक 04.12.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS में लूट की घटना में वांछित 01 लुटेरें अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 16.11.24 को थाना खेकड़ा पर वादी अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री उमाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम मिसरौली, थाना भीटी, जिला अम्बेडकरनगर हाल निवासी सरहौल, सेक्टर 18, थाना सेक्टर 18, गुरूग्राम हरियाणा ने सूचना दी कि दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ मारपीट कर वादी की कार अर्टिका नं0 UP32TN3315 व 01 मोबाइल सैमसंगलूट लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS पंजीकृत किया गया।



कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरें/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS में लूट की घटना में वाछित 01 लुटेरे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/15 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 17-11-2024 को एक अभियुक्त मौहम्मद अमजद पुत्र इकबाल को गिरफ्तार कर लूटी हुई गाडी अर्टिका नं0 UP 32 TN 3315 बरामद की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शहजाद उर्फ भूरा पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम रोशनगढ़ थाना बालैनी जनपद बागपत हालपता पीर वाली गली शालीमार गार्डन थाना साहिबावाद।

गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद उर्फ भूरा पुत्र कय्युम का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 392/24 धारा 309(6) BNS थाना खेकडा जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3-मु0अ0सं0 229/23 धारा 380/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 4-मु0अ0सं0 933/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 5-मु0अ0सं0 1094/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
 गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
- 1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2. उ0नि0 यूटी श्री सुजीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3.है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4.है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5.का० 690 अभिषेक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत थाना बडौत

दिनाँक -04.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 795/24 धारा 69/351(2) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 795/24 धारा 69/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

अंकित पुत्र यशपाल निवासी पट्टी राणा रूस्तमपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत।
- 2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत
- 3-का0 666 रघवीर सिंह थाना बडौत।



दिनाँक 04.12.2024

थाना रमाला पुलिस ने मु0अ0स0 320/24 धारा 137(2)/64 बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 320/24 धारा 137(2)/64 बीएनएस 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट:- उपरोक्त अभियोग की अपहृता को थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 03-12-2024 को बरामद किया जा चुका है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

इरशाद पुत्र कमाल शाह निवासी ग्राम बांसदेई सरकड थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिहं थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-है0का0 549 ओमप्रकाश सिहं थाना रमाला जनपद बागपत।



दिनाँक 04.12.2024

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।


कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मेहरखान पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-शहनवाज पुत्र निजामुद्दीन निवासी काँच का पुल, फजल्लपुर रोड, गली नं0 18 थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।



1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम।

2-थाना बालैनी पुलिस टीम।

